राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(2)कार्मिक / क–2 / 2019 जयपुर, दिनांक: 29.8.2019

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः–विशेष योग्यजनों के आरक्षण के लिए रोस्टर बिन्दु निर्धारित करनें एवं रोस्टर पंजिका संधारित करनें के संबंध में।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 101 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018, दिनांक 23.1.19 को जारी किये गये है, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 24 जनवरी, 2019 को किया जा चुका है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के नियम 5 में विशेष योग्यजनों को सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण दिये जानें एवं रोस्टर संधारित किये जानें का प्रावधान किया गया है। उक्त नियम के नियम 5(3) के अनुसार रोस्टर नियमानुसार संधारित किया जाना है। उक्त नियम के कम में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. प्रत्येक संवर्ग में सभी सीधी भर्तियों में 4 प्रतिशत पद विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित रखे जायेगें।
2. विशेष योग्यजनों की सीधी भर्ती हेतु सभी सरकारी विभाग / निगम / बोर्ड / स्वायत्तशाषी संस्थान / प्राधिकरण आदि द्वारा विशेष योग्यजनों हेतु एक अलग से 100 अंकों की रिक्ति के आधार पर रोस्टर रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।
3. रोस्टर रजिस्टर 100 अंकों का चक्र होगा प्रत्येक चक्र 4 ब्लॉक में विभाजित किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैः–

प्रथम ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क.सं 01 से 25
द्वितीय ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क.सं 26 से 50
तृतीय ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क.सं 51 से 75
चतुर्थ ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क सं 76 से 100

4. रोस्टर रजिस्टर के क. सं 1, 26, 51 एवं 76 वाले पद विशेष योग्यजनों हेतु क्षैतिज आधार पर आरक्षित किये जायेगें। संस्थापन प्रमुख चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के समय रोस्टर रजिस्टर में इंद्राज कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. समस्त रिक्तियां की रोस्टर रजिस्टर में प्रविष्टि की जायेगी। यदि बिन्दु संख्या 1 पर आने वाला पद विशेष योग्यजन व्यक्ति के लिए चिन्हित नहीं है या संस्थापन प्रमुख उस पद को विशेष योग्यजन व्यक्ति द्वारा भरा जाना वाछनीय नहीं समझता है या किसी अन्य कारण से उस पद को विशेष योग्यजन द्वारा भरा जाना संभव नहीं है तो बिन्दु संख्या 2 से लेकर 25 तक के किसी भी बिन्दु पर आने वाली रिक्तियों में से एक रिक्ति को विशेष योग्यजन के लिए आरक्षित समझा जायेगा और उसे इस रूप में भरा जायेगा। इसी प्रकार 26 से 50 तक या 51 से 75 या 76 से 100 तक के किसी भी बिन्दु पर आने वाली कोई रिक्ति विशेष योग्यजन द्वारा भरी जायेगी। रोस्टर के 1, 26, 51 और 76 बिन्दुओं को आरक्षित रखने का प्रयोजन प्रथम उपलब्ध उपयुक्त रिक्ति को विशेष योग्यजन व्यक्ति द्वारा भरा जाना है।
6. यह संभावना है कि 1 से 25 तक की रिक्तियों मे से कोई भी रिक्ति विशेष योग्यजन के किसी प्रवर्ग के लिए उपयुक्त नहीं हो ऐसी स्थिति मे 26 से 50 तक की दो रिक्तियां उस विशेष योग्यजन व्यक्तियों से भरी जायेगी। यदि 26 से 50 तक की रिक्तिया भी किसी प्रवर्ग के लिए उपयुक्त न हो तो 3 रिक्तियां 51 से 75 तक के बिन्दु अन्तर्विष्ट करने वाले तृतीय ब्लॉक से आरक्षित आरक्षित के रूप में भरी जायेगी। इसका यह तात्पर्य है कि यदि किसी विशिष्ट ब्लॉक में कोई रिक्ति आरक्षित नहीं की जा सकती है तो उसे अगले ब्लॉक में अग्रेषित किया जायेगा।
7. रोस्टर के समस्त 100 बिन्दुओं को समाविष्ट करनें के पश्चात 100 बिन्दुओं का नया चक्र प्रारम्भ होगा।

8. यदि किसी वर्ष में रिक्तियों की संख्या ऐसी है जिसमें केवल 1 या 2 ब्लॉक ही समाविष्ट होते है तो पहले विशेष योग्यजन के किस प्रवर्ग को स्थान दिया जाना चाहिए, का विवेकाधिकार संस्थापन प्रमुख में निहित होगा। संस्थापन प्रमुख पद की प्रकृति, संबंधित ग्रेड/पद इत्यादि में विशिष्ट विशेष योग्यजन प्रवर्ग के प्रतिनिधित्व के आधार पर विनिश्चय करेगा।
9. जिन पदों को बैंचमार्क श्रेणी वाले व्यक्तियों हेतु उपयुक्त माना गया है, के लिए विशेष योग्यजन व्यक्ति बिना आरक्षण का लाभ लिये प्रतिस्पर्धा के साथ आवेदन करता है तो उसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जायेगा। बशर्ते विशेष रूप से बैंचमार्क निःशक्तता वाले विशेष योग्यजनों के लिए पद आरक्षित/चिन्हित किया हुआ हो। यदि विशेष योग्यजन बिना किसी छूट/मानक के साथ चुना जाता है तो आरक्षित पद के विरूद्व समायोजित नहीं किया जायेगा।
10. जहाँ किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैंचमार्क निशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निशक्तजन उपलब्ध नही होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

निःशक्तता की निम्नलिखित 4 श्रेणियों हेतु 1–1 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है:-

(अ) दृष्टि बाधित और अल्पदृष्टि।
(ब) श्रवण बाधित।
(स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीडित, मॉसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन–निःशक्तता।
(द) (1) ऑटिज्म, बौद्विक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रूग्णता।
(2) बहुविकलांगता उपरोक्त ग्रुप–अ से द तक में वर्णित निःशक्तता एवं श्रवण शक्ति का हृास एवं दृष्टि बाधित सहित।

11. यदि कोई पद विशेष योग्यजन की किसी एक ही श्रेणी के लिए उपयुक्त होना चिन्हित किया गया है तो उस स्थिति में विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित सभी 4 प्रतिशत पद विशेष योग्यजन की उसी श्रेणी से भरे जायेगें।

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के तहत आरक्षित किसी पद के संबंध में यदि नियोक्ता अधिकारी को यह महसूस होता है कि उस पद से संबंधित कार्य अथवा दायित्वों का निर्वहन विशेष योग्यजन द्वारा नहीं किया जा सकता है तो वह प्रकरण को निदेशक, विशेष योग्यजन को छूट हेतु प्रेषित कर सकता है।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. समस्त अध्यक्ष/सचिव, आयोग निकाय/बोर्ड/निगम/प्राधिकरण।
7. निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

31/2019